ऑन लाईन नं. RCMS 2022/228

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 27/2022

1. नत्थूराम पुत्र श्री मुंशीराम जाति नायक आयु 65 साल निवासी बनवाली, तह. सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. शंकरलाल पुत्र श्री मुंशीराम जाति नायक आयु 46 साल निवासी बनवाली तह. सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. रिछपाल पुत्र श्री जगदीश सिंह उर्फ जीता सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह जाति मजहबी निवासी दलियांवाली तह. सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व इंतकाल सं. 893/05.01.2022 जो कि तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दिनांक 06.01.22 को अन्य रकबा के अलावा अपीलांटस के रकबा चक 06 बीजीएस तह. सादुलशहर के खाता सं. 30/30, मु.न. 37 की 3.795 है. का गलत व यकतरफा तौर पर आदेश दिनाक 27.12.2021 प्रकरण सं. 07/21 के आधार पर तस्दीक किया गया बमुराद मनसूखियां इस रकबा की हद तक(आदेश दिनांक 27.12.2021 व इंतकाल दिनांक 06.01.2022)

उपस्थित :

1. श्री सुभाष मिढ़ढा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता , रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: दिनांक :–21.01.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता स्व मुंशीराम को हिन्द पाक विभाजन पर चक 06 बीजीएस तह. सादुलशहर के मु.न. 37 के किला न. 02 ता 09, 12 ता 14, 17 ता 19 कुल 15 बीघा रकबा अलाट हुआ था, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा था, मुंशीराम के देहांत के बाद उपरोक्त भूमि का वारिसनामा जरिये प्रकरण अंतर्गत धारा 76 डीपीएक्ट प्र. स. 12/90 निर्णय दिनांक 18.04.1991 जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा किया गया, जिसके आधार पर सनद सं. 3723 दिनांक 30.05.1991 जारी की गई, जिसकी नकल शामिल है। चूंकि अपीलांटस की माता सजना बेवा मुंशीराम के जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए समस्त भूमि उसके नाम लगवायी गई जिससे वह हिस्सा ठेका पर देकर अपना जीवन यापन कर सके, परिवार बढ़ने से अपीलांटस व उसका भाई गिरधारी जीविकोपार्जन हेतु अन्यत्र मेहनत मजदूरी व काश्त करने लगे व सजना देवी अपनी भूमि गुरजंट सिंह पुत्र लाल सिंह जो गांव का निवासी था जान पहचान थी को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाने लगी विश्वास बने होने से वह कई बार सजना देवी को ठेका की लिखित करवाने के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाता रहा। सजना देवी को 160000 रूपए की आवश्यकता थी तथा उसके द्वारा भूमि रहन की गई व गुरजंट सिंह

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

ने यह कहा कि वह हिस्सा ठेका की राशि में से उपरोक्त उधार दी गई राशि का समायोजन करता रहेगा कोई ब्याज नहीं लेगा, उसके द्वारा अपीलांटस की माता के नाम से उपरोक्त भूमि पर ट्रेक्टर ऋण के लिए भी कार्यवाही की व ऋण लिया गया, सजना देवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.11.2009 को उपरोक्त भूमि की वसीयत अपीलांटस व उसके भाई के हक में की गई, अपीलांटस की माता का देहांत 06.03.2010 को हुआ। अतः उपरोक्त भूमि की हकदार अपीलांटस व उनका भाई वसीयत के आधार पर हुआ। वसीयत के आधार पर इंतकाल की कार्यवाही करने पर पटवारी हल्का ने बताया कि उपरोक्त भूमि का मालिक तो जगदीश सिंह है, जिसके नाम से दर्ज है जबकि अपीलांटस की माता ने उपरोक्त भूमि को जगदीश सिंह अथवा अन्य किसी को मुंतकिल नहीं किया था, अपीलांटस ने गुरजंट सिंह से बात की तो उसने कहा कि आपकी माता ने उपरोक्त भूमि का बैयनामा उसको मुख्तारआम बनाकर 08 लाख रूपया का जगदीश सिंह के हक में करवाया हुआ है तथा मैं तो भूमि हिस्सा ठेका पर काश्त कर रहा हूं। इस पर पता चला कि गुरजंट सिंह ने धोखे से अपीलांटस की माता को दलवीर खेड़ा का निवासी बताते हुए 1997 को कोई कूटरचित मुख्तारनाम अबोहर से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार धोखाधड़ी का पता चला जिस पर परिवाद न्यायिक मजि. सादुलशहर में करने पर एफआईआर न. 101/23.04.2010 दर्ज हुई, जिसमें गलत एफ.आर. दी गई व आगामी कार्यवाही की गई व एक दावा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अपीलांटस ने एक दावा कथित दस्तावेज को शून्य व अधिकारों पर बेअसर घोषित करवाने के लिए जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में पेश किया जो कि अपर जिला न्यायाधीश सं.02 श्रीगंगानगर में प्रकरण सं. 17/2016 से विचाराधीन है व स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है। इसी बीच में जगजीत सिंह व गुरजंट की मृत्यु होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया गया, जिस पर वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का आदेश भी पारित किया गया। इस प्रकार दावा में जगजीत सिंह व गुरजंट सिंह दोनों ही हाजिर आए व अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करते रहे। रेस्पोडेंट संख्या 1 भी हाजिर आया उसने व अन्यों ने व गुरजंट सिंह के वारिसान ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 का जवाब दिनांक 21.05.2022 को पेश किया, गत करीब 10 रोज पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा भूमि 3.795 है. जिसके संबंध में दावा विचाराधीन है को मुंतकिल करने के लिए जब ग्राहकों को दिखाना शुरू किया तो अपीलांटस ने पटवारी हल्का से संपर्क किया तथा पता किया कि रेस्पोडेंट सं. 1 भूमि को कैसे मुंतकिल कर रहा है क्योंकि अभी तक दावा विचाराधीन है तो पटवारी हल्का ने बताया कि उपरोक्त भूमि अन्य भूमि के साथ रेस्पोडेंट 1 के नाम जगजीत सिंह के वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज हो चुका है। इस पर दिनांक 23.08.2022 को पटवारी हल्का से इंतकाल की नकल हासिल की तथा अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी राय ली तो उन्होने कहा कि तहसीलदार का आदेश जिसके आधार पर इंतकाल करने का हुक्म दिया उसकी भी प्रमाणित प्रति लायी जावे, जिस पर प्रमाणित प्रति हासिल कर यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है:–

1. यह कि इंतकाल संख्या 893 दिनांक 05.01.2022 जो कि तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दिनांक 06.01.2022 को अपने ही आदेश दिनांक 27.12.21 के आधार पर तस्दीक किया गया है, जिनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल है गलत खिलाफ कानून,

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

खिलाफ वाक्यात होने से 3.975 है. भूमि अपीलांटस के रकबा की हद तक हर प्रकार से निरस्तनीय है।

2. यह कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं.02 श्रीगंगानगर में प्रकरण सं. 17/2016 सन 2016 से विचाराधीन है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है। इस प्रकार स्व. जगजीत सिंह जिसकी कथित वसीयत के आधार पर इंतकाल जेर अपील किया गया है को बाखूबी यह जानकारी थी कि उसके हक में हुआ बैयनामा दिनांक 07.12.2009 शुरू से शून्य होने से अपीलांटस के अधिकारों पर बेअसर होने की घोषणा का वाद व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद की वह उपरोक्त भूमि को किसी प्रकार से किसी को मुंतकिल नहीं करे सन 2016 से ही विचाराधीन है, इस प्रकार दौराने मुकदमा तथाकथित वसीयत दिनांक 08.11.2019 जो रेस्पोडेंट 1 के हक में होने के कथन कर इंतकाल की कार्यवाही की गई स्पष्ट तौर से ही गलत होने से निरस्तनीय है।

3. यह कि इंतकाल का आदेश दिनांक 27.12.2021 व इंतकाल तस्दीक करने का आदेश दिनांक 06.01.2022 दौराने दावा पारित किये गए हैं तथा कथित वसीयत भी दौराने मुकदमा की गई है। अतः स्पष्ट तौर से अविधिक होने से अपीलांटस के अधिकारों पर शुरू से ही शून्य होने से बेअसर है क्योंकि दौराने मुकदमा इस प्रकार की गई कार्यवाही अविधिक होने से भी निरस्तनीय है।

4. यह कि तहसीलदार को किसी भी वसीयत की वैधता की जांच करने का कानूनन कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है, वसीयत की वैधता केवलमात्र सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, यही कारण है कि वसीयत के आधार पर प्रोबेट जारी करने का प्रावधान बना हुआ है, यदि किसी वसीयत की वैधता की जांच तहसीलदार कर सकता तो प्रोबेट का प्रावधान ही नहीं बनाया जाता। अतः आदेश व इंतकाल बिना अधिकार खिलाफ कानूनन होने से निरस्तनीय है।

5. यह कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से सही तथ्यों का छुपाव किया है उसको यह जानकारी थी कि जिस 3.795 है. की वसीयत के आधार पर इंतकाल करवाया जा रहा है, उसके संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है तथा जगजीत सिंह को कथित बैयनामा दिनांक 07.12.2009 के आधार पर कोई अधिकार ही हासिल नहीं हुए, इसलिए वह इस रकबा की वसीयत भी नहीं कर सकता था मगर रेस्पोडंट 1 ने तहसीलदार से छुपाव करके गलत इंतकाल की कार्यवाही कर आदेश करवाया।

6. यह कि इंतकाल का आदेश देने व इंतकाल करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो इंतकाल नियमों की पालना की गई ना ही लैण्ड रिकार्ड के आदेशात्मक प्रावधानों की ही पालना की गई। नियमों के अनुसार सर्वप्रथम इंतकाल की कार्यवाही होने पर सभी प्रथावित को नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा आपत्ति सूचना न्यायालय के बोर्ड व संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, ढोल मुनियादी द्वारा आपति सूचनाएं मांगी जाने व किसी दैनिक समाचार पत्र में भी सूचना प्रकाशित करवायी जानी आवश्यक होती है,मगर इस प्रकार की कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गई, यदि अपनायी गई होती तो अपीलांट को जानकारी होने पर वह अधीनस्थ न्यायालय में पेश होकर आपत्ति पेश करता। इसके अलावा जगजीत सिंह की कथित वसीयत दिनांक 08.11.2019 अपीलांटस के उपरोक्त रकबा 3.795 है. की हद तक बिना अधिकार होने से भी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

इंतकाल नहीं किया जा सकता था तथा इस रकबा की हद तक वसीयत विवादित थी। अतः सक्षम सिविल न्यायालय से बिना प्रोबेट जारी हुए अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल करने का अधिकार नहीं था। अतः धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की जा रही है।

7. यह कि इस प्रकार रेस्पोडेंट 1 द्वारा सही तथ्यों का छुपाव किया व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से नहीं जाने से भी इंतकाल की समस्त कार्यवाही व आदेश अविधिक होने से निरस्तनीय है।

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से निम्न सप्रकार प्रस्तुत की है:—

1. यह कि उपरोक्त अनवान की अपील अपीलांटस के द्वारा तहसीलदार सादुलशहर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 893 दिनांक 05.01.2022, जिसे आगे 06.01.2022 दर्ज किया गया है, एवं आदेश दिनांक 27.12.2021 ,जो प्रकरण संख्या 07/2021 में पारित किया गया के विरूद्व यकजाई इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसके द्वारा कि जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कृषि भूमि का नामान्तरण उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है।
2. यह कि अपीलांटस की ओर से अपील प्रस्तुत करने के लिए अपनी मीमो ऑफ अपील में यह अंकित किया है कि अपीलांटस के पिता स्व. मुंशीराम को हिन्द पाक विभाजन पर चक 6 बीजीएस, तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 37 का किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19 कुल 15 बीघा भूमि अलॉट हुई थी। मुशीराम के देहान्त उपरान्त उक्त भूमि का वारिसनामा धारा 76 डी.पी.एक्ट के तहत दिनांक 18.04.1991 को जिला पुर्नवास अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जिसके आधार पर सनद् संख्या 3723 दिनांक 30.05.1991 को जारी की गयी। भूमि सजना बेवा मुशीराम के नाम से उसके जीवनयापन के लिए लगवायी गयी। सजना देवी अपनी भूमि गुरजंट सिंह पुत्र लाल सिंह से हिस्सा ठेका पर काश्त करवाती थी। सजना देवी को 1,60,000/—रूपये की आवश्यकता होने पर रहन की गयी एवं गुरजंट सिंह ने कहा कि ठेका राशि में से उधार दी गयी राशि का समायोजन करता रहेगा, ब्याज नहीं लेगा। सजना ने उक्त भूमि की वसीयत अपीलांटस के हक में की। सजना का देहान्त 06.03.2010 को हो गया जिसके उपरान्त वसीयत के आधार पर अपीलांट एवं अपीलांट का भाई मालिक हुए। इंतकाल की कार्यवाही करने पर पटवारी हल्का ने बताया कि भूमि का मालिका तो जगदीश सिंह है जिसके नाम से भूमि दर्ज है जबकि सजना ने उक्त वर्णित भूमि को जगदीश सिंह को मुन्तकिल नहीं की। गुरजन्ट सिह से सम्पर्क करने पर उसने कहा कि भूमि का बैयनामा मुख्तयारे आम बनकर जगदीश सिंह के हक मे करवाया हुआ है। फर्जी मुख्तयारनामा के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जिसमें एफ.आर.लगा दी। दावा उपजिलाधीश सादूलशहर में प्रस्तुत किया इसके अलावा बैयनामा को शून्य व बेअसर घोषित करवाने का दावा जिला न्यायाधीश संख्या 2, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। जब रेस्पोडेन्ट

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

संख्या 1 ने भूमि को मुन्तकिल करने का प्रयास किया जाने लगा तो अपीलांटस ने पटवारी हल्का से सम्पर्क करके पता किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि का इंतकाल अन्य भूमि के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से वसीयत के आधार पर स्वीकृत हो चुका है जिस पर 23.08.2022 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गयी है। इंतकाल संख्या 893 दिनांक 05.01.2022 एवं तहसीलदार सादूलशहर का आदेश दिनांक 27.12.2021 को विधि विरूद्व होना कथन किया है एवं इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच ना करना एवं इंतकाल स्वीकृत करना कथन करते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत अवधि बाधित अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।

3. यह कि अपील जाहिरा तौर से अवधि बाधित प्रस्तुत की गयी है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के अभिवचन संतोषजनक तथ्यों की परिभाषा में नहीं आते है जबकि अन्य विचाराधीन विवादो में अपीलांटस को इन्तकाल जेर अपील एवं आदेश तहसीलदार की बाखूबी जानकारी थी। मियाद के सम्बन्ध में अपीलांटस की ओर से अंकित तथ्य कि अपील प्रस्तुत करने से दस रोज पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि को मुन्तकिल करने का प्रयास करने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर अपीलांटस को ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से जगजीत सिंह की वसीयत के आधार पर इंतकाल स्वीकृत हो चुका है जिस पर दिनांक 23.08.2022 को नकल हासिल कर एवं अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उसके द्वारा तहसीलदार के आदेश की नकल लाने का कहे जाने पर तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है, कतई स्वीकार किये जाने योग्य तथ्य नहीं है क्योंकि न तो पटवारी हल्का का शपथ पत्र , जिससे कि जानकारी होना कथन किया है प्रस्तुत किया है ,ना ही यह अभिवचन अंकित किया है कि पटवारी हल्का के पास किस कार्य से गये थे, यदि कोई जमाबन्दी या अन्य काम से गये थे तो प्राप्त की गयी जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत नहीं की है अर्थात वेग अभिचन समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद अंकित कर अवधि बाधित अपील प्रस्तुत की है जो मियाद के बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि इन्तकाल जेर अपील से अपीलान्टस से स्वयं को प्रत्यक्षतः क्षुब्ध एवं व्यथित पक्षकारान होना कथन करते हुए आदेश जेर अपील से प्रभावित एवं व्यथित पक्षकारान होने के नाते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतू धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है जबकि अपीलांटस अपीलाधीन इंतकाल एवं आदेश से कतई प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। न्यायालय इंतकाल का अवलोकन करे तो स्पष्ट होगा कि यह इंतकाल पिता की वसीयत के आधार पर पुत्र के नाम से स्वीकृत हुआ है जिसे अन्य वारिस ही प्रभावित होने पर चुनौती दे सकते है। अपीलांटस , रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई बहिन नहीं है वरन् अजनबी है इसलिये अपीलाधीन इंतकाल को चुनौती देने के कतई अधिकारी नहीं है एवं जहां तक अपील पेश करने के सन्दर्भ में एवं स्वयं को व्यथित होने के सम्बन्ध में तथ्य अंकित किये है तो उस सम्बन्ध में पूर्व में ही माननीय संभागीय आयुक्त , बीकानेर तक निर्णय अपीलांटस के विरूद्व निर्णित हो चुके है एवं बैयनामा तथा इंतकाल संख्या 367 के अस्तित्व में रहते अपीलांटस इंतकाल संख्या 896 को चुनौती देने के एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण कतई अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

5. यह कि जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो स्थिती स्पष्ट है कि इन्तकाल संख्या 893 दिनांक 06.01.2022 एवं तहसीलदार आदेश दिनांक 27.12.2021, जो प्रकरण संख्या 7/2021 में पारित किया गया है, के विरूद्व एक अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुरूप आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्व पृथक एवं इन्तकाल संख्या 893 दिनांक 06.01.2022 के विरूद्व पृथम अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी इसलिये इस कानूनी बिन्दु पर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि पत्रावली पर उपलब्ध माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अवलोकन से भी यह स्थिति स्पष्ट है कि अपीलांटस ने मुख्य तथ्यों को न्यायालय से छुपाया है एवं अपीलांटस इन्तकाल संख्या 893 दिनांक 06.01.2022 से कतई क्षुब्ध नहीं है इसलिये अपील प्रस्तुत करने के कतई अधिकारी नहीं है। भूमि की खातेदारा सजना बेवा मुंशी राम के हक में मुंशीराम के वारिसान नत्थूराम एवं शंकरलाल मौजूदा अपीलांटस के द्वारा अपने –अपने हिस्से का अन्तरण जरिए पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 21.08.1996 से करने पर सजना एकमात्र खातेदारा हो गयी एवं सजना के द्वारा अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 07.12.2009 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह को करके कब्जा सुपुर्द कर दिया था। इस बैयनामा का इंतकाल संख्या 367 दिनांक 20.12.2009 को स्वीकृत हुआ। इंतकाल संख्या 367 दिनांक 20.12.2009 के विरूद्व अपीलांटस एवं गिरधारी लाल पुत्र मुंशीराम के द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में अपील संख्या 202/2010 अनवानी नत्थूराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत वगैरा प्रस्तुत की जो दिनांक 13.02.2014 को निरस्त हुई। उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 13.02.2014 के विरूद्व द्वितीय अपील संख्या 135/2017 अनवानी नत्थूराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत वगैरा माननीय सम्भागीय आयुक्त , बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो माननीय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.04.2019 से निरस्त कर दी गयी। इसके अलावा अपीलांटस के द्वारा अपने अन्य भाई बहिनों के साथ मिलकर एक राजस्व वाद धारा 88–188 व 92ए आरटीएक्ट के तहत वाद संख्या 37/2010 अनवान नत्थूराम वगैरा बनाम जगजीत सिंह वगैरा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के द्वारा दिनांक 14.08. 2019 को निरस्त कर दिया गया। इस वाद में प्रस्तुत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के द्वारा दिनांक 26.04.2011 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील संख्या 77/2014 अनवान नत्थूराम वगैरा बनाम जगजीत सिंह वगैरा भी राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा दिनांक 14.05.2018 को निरस्त की जा चुकी है। उपरोक्त निर्णयों की प्रतियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

7. यह कि चूंकि बैयनामा के आधार पर भूमि का अन्तरण संजना से जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह पिता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को हुआ जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 367 स्वीकृत हुआ जो आज दिनांक तक निरस्त नहीं हुआ है एवं इसके विरूद्व प्रस्तुत दोनो अपीलें निरस्त हो चुकी है एवं वाद भी निरस्त हो चुका है तथा बैयनामा भी आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में इंतकाल संख्या 893 दिनांक 06.01.2022 जो कि जगजीत सिंह

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

उर्फ जीता सिंह की भूमि का वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से स्वीकृत हुआ है उससे न तो अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार है एवंस ना ही अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है इसलिये अपीलांटस के प्रभावित पक्षकार ना होने के कारण एवं अपील के गुणावगुण में बल ना होने के कारण अपील अपीलांट्स निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 893 जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह की खातेदारी कृषि भूमि , जिसमें अपीलाधीन कृषि भूमि भी सम्मिलित है का उसकी वसीयत के आधार पर उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से स्वीकृत हुआ है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि जो नामान्तकरण पिता से उसके पुत्र के पक्ष में उसकी वसीयत के आधार पर स्वीकृत हुआ है उसे चुनौती देने का अधिकार आया किसी तीसरे पक्ष को है अथवा नहीं एवं स्वीकृत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल संख्या 893 को चुनौती महज जगजीत सिंह के अन्य विधिक वारिसान ही यदि अपने आप को वसीयत से व्यथित मानते , तो चुनौती दे सकते है। इन्तकाल संख्या 367 के अस्तित्व में रहते एवं बैयनामा दिनांक 07.12.2009 के अस्तित्व में रहते तथा माननीय संम्भागीय आयुक्त बीकानेर के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के अस्तित्व में रहते अपीलांन्टस अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 893 को चुनौती देने के अधिकारी नहीं है एवं नामान्तकरण संख्या 893 दिनांक 06.01.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर सही एवं विधिसम्मत् स्वीकृत किया गया होने के कारण अपील अपीलांटस सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों के तहत आदेश दिनांक 27.12.2021 एवं इन्तकाल संख्या 893 दिनांक 06.01.2022 के विरूद्व एक ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है वरन् दोनो के विरूद्व पृथक–पृथक अपील होती है इसलिये भी अपील अपीलांटस निरस्त किये जाने योग्य है।

लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स धारा 96 सीपीसी , धारा 5 मियाद अधिनियम एवं गुणावगुण पर बलहीन होने के कारण सव्यय निरस्त फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अपीलांटान के पिता मुशीराम को कार्यालय पुर्नवास श्रीगंगानगर से जीवो के आधार पर चक 6 बीजीएस मुरब्बा नम्बर–37 के किला नम्बर–2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19 कुल 15–00 बीघा रकबा अलाट हुआ था। मुंशीराम के देहान्त के बाद उपरोक्त भूमि का वारिसनामा धारा 76 डीपी एक्ट प्रकरण संख्या–12/90 दिनांक–18/04/91 को जारी करते हुए सनद संख्या–3723 दिनांक 30/05/1991 को जारी की गयी जो परिवार के सदस्यों के नाम से जारी हुई। अपीलांट की माता सजना बेवा मुंशीराम के जीवनयापन को ध्यान में रखतें हुए सदस्यो द्वारा उक्त भूमि माता को दी गयी जो हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाकर अपना जीवनयापन करती रही। क्योकि भूमि कम होने के कारण परिवार के सदस्यों जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा था इसलिए मेहनत मजदूरी कर जीवन निर्वाह करने लगे तथा माता सजना देवी द्वारा उक्त भूमि गुरजंट सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख जो गांव का निवासी था से जान पहचान होने के कारण उसे हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाती रही। सजना देवी द्वारा गुरजंट सिंह पर पूरा विश्वास होने के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

कारण गुरजंट सिंह द्वारा यह कहा गया कि भूमि काश्त हेतू ट्रैक्टर लोन ले लेते है जिसमें भूमि काश्त करने मे आसानी रहेंगी। इस सम्बंध में गुमराह करते हुए व भूमि को हड़पने की नियत से अपीलांटस की माता को विश्वास में लेकर ट्रैक्टर ऋण लेने के बहाने एक मुखत्यारनामा आम सजना देवी का पता दलबीर खेड़े का दिखाते हुए पंजाब से मुखत्यारनामा तैयार करवा लिया तथा इस मुखत्यारनामा के आधार पर उक्त भूमि को आठ लाख रूपये में जगदीश सिंह के हक मे बैयनामा करवा दिया तथा स्वयं हिस्सा ठेका पर काश्त करता रहा। इस भूमि के सम्बन्ध में सजना देवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30/11/2009 को वसीयत अपीलांट के हक में की गयी। अपीलांट की माता का देहान्त दिनांक 06/03/2010 को हुआ। अतः उपरोक्त भूमि के हकदार वसीयत के आधार पर अपीलांटान हुए। जिनके द्वारा इन्तकाल की कार्यवाही की गयी तो पटवारी हल्का से पता चला कि उपरोक्त भूमि का मालिक जगदीश सिंह है। जिसके नाम से जमाबन्दी में दर्ज है। जैसे ही इस बात का पता चला कि गुरजंट सिंह ने माता सजना देवी जो कि एक अनपढ औरत थी को गुमराह करते हुए 1997 मे मुख्तयारनामा तैयार करवाया है तथा उसके आधार पर यह भूमि जगदीश सिंह के नाम बैयनामा करवा दिया। इस पर गुरजंट सिंह आदि के विरूद्ध एक परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उनके विरूद्ध एफआईआर संख्या–101 दिनांक 23/04/2010 को दर्ज करवायी गयी जिस पर गुरजंट सिंह द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर एफआर लगवा दी। जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी तथा इसके अलावा एक दावा दस्तावेज को शून्य व अधिकारो पर बेअसर घोषित करवाने के लिए जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर की अदालत में प्रस्तुत किया जो अपर जिला न्यायाधीश संख्या–02 श्रीगंगानगर को सुनवाई हेतु भिजवाया गया। इसी बीच में गुरजंट सिंह व जगदीश सिंह की मृत्यु होने पर आदेश 22 नियम 04 में कार्यवाही करते हुए वारिसान को स्थापित करने का आवेदन किया गया। इस दौरान में वारिसान द्वारा पता चला कि जगदीश सिंह द्वारा उक्त रकबा के सम्बन्ध में वसीयत रेस्पोडेन्ट रिछपाल सिंह के पक्ष में की हुई है तथा उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल हो चुका है जो जानकारी होने पर दिनांक–23/08/2022 को पटवार हल्का से इन्तकाल की नकल प्राप्त की ता विधिक राय लेकर उस इन्तकाल के विरूद्ध अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

1. यह कि भूमि की मालिक अपीलांट की माता सजना देवी थी जिसके द्वारा किसी प्रकार से कोई मुखत्यारनामा स्वेच्छा से नही दिया बल्कि गुमराह करके पंजाब से मुखत्यारनामा तैयार करवाया गया। जिस सम्बन्ध में फौजदारी कार्यवाही भी उनके विरूद्ध की गयी तथा गुरजंट सिंह जोकि स्वर्ण जाति का व्यक्ति था किसी प्रकार से भी अपीलांटान की भूमि प्राप्त नही कर सकता था इस कारण उसके द्वारा भूमि को हड़पने की नियत से बैयनामा जगदीश सिंह के नाम करवाया गया तथा भूमि को अपने जीवनकाल में स्वयं काश्त करता रहा तथा उसके बाद भी अब भूमि वारिसान द्वारा काश्त की जा रही है। कब्जा आज भी गुरजंट सिंह के वारिसान का है किसी प्रकार से भी रिछपाल सिंह का कोई कब्जा नही है तथा वसीयत के आधार पर जो इन्तकाल किया गया वह भी अदालतो में दावे होने के बाद किये गये है तथा इस मुखत्यारनामा के आधार पर जो बैयनामा करवाया गया वह शुरू से ही शून्य होने के कारण अपीलांटान के अधिकारो पर बेअसर है तथा वसीयत भी प्रकरणो के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

विचाराधीन होने हुए करवायी गयी जों दिनांक– 08/11/2019 को करवायी गयी जो भी एक शून्य दस्तावेज है।

2. यह कि इन्तकाल दिनांक –27/12/2021 जो दिनांक–06/01/2022 के आदेश के आधार पर किया गया है तथाकथित वसीयत भी दौराने मुकदमा की गयी है इस कारण अपीलांट के अधिकारो पर शुरू से ही शून्य होने के कारण बेअसर है।
3. यह कि तहसीलदार द्वारा जो वसीयत के आधार पर इन्तकाल किया गया है वह भी बिना प्रोसीजर को अपनाये तथा कब्जा सम्बन्धी जांच किये बगैर ही कार्यवाही की गयी है जबकि वसीयत के आधार पर अगर कोई इन्तकाल किया जाता है तो उस सम्बन्ध में वारिसान को सूचना जारी की जाती है तथा इसके अलावा अखबार के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाता है जो सीपीसी के आदेश 5–9 व 9 ए के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उपस्थित आवे। परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया को ना अपनाते हुए आदेश पारित किया है इसलिए उक्त इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है। जिस सम्बन्ध में आरआरटी 2020 पेज 947 No Proper Sergvice of Summan Notice published in news paper then Mutation is illegal.

आरआरटी 2018 हाईकोर्ट पेज 186 Delay is not Fatal then the mutation is illegal

अतः लिखित बहस पेश करके अर्ज है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा इन्तकाल संख्या 893 दिनांक 05.01.2022 जो तहसीलदार सादुलशहर द्वारा 06.01.2022 को राजस्व रिकॉर्ड में पृष्ठांकन की कार्यवाही की गयी को निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त विवादित भूमि चक 6 बीजीएस मुरब्बा नम्बर–37 के किला नम्बर–2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19 कुल 15–00 बीघा रकबा की खातेदारा सजना बेवा मुंशी राम द्वारा भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 07.12.2009 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह को किया गया। उक्त बैयनामा का इंतकाल संख्या 367 दिनांक 20.12.2009 को स्वीकृत हुआ। उक्त विवादित इंतकाल संख्या 367 दिनांक 20.12.2009 के विरूद्व अपीलांटस एवं गिरधारी लाल पुत्र मुंशीराम के द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में अपील संख्या 202/2010 अनवानी नत्थूराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत वगैरा प्रस्तुत की जिसे उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.02.2014 निरस्त कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 13.02.2014 के विरूद्व द्वितीय अपील संख्या 135/2017 अनवानी नत्थूराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत वगैरा माननीय सम्भागीय आयुक्त , बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। माननीय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.2019 से उक्त अपील निरस्त कर दी गयी। **इसके अलावा एक राजस्व वाद संख्या 37/2010 अनवान नत्थूराम वगैरा बनाम जगजीत सिंह वगैरा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया** जिसे उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा दिनांक 14.08.2019 को निरस्त कर दिया गया। चूंकि बैयनामा के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आधार पर उक्त विवादित भूमि का अन्तरण संजना से जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह पिता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को हुआ जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या 367 स्वीकृत हुआ जो आज दिनांक तक निरस्त नहीं हुआ है एवं इसके विरूद्ध प्रस्तुत दोनो अपीलें निरस्त हो चुकी है एवं वाद भी निरस्त हो चुका है तथा बैयनामा भी आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 893 जगजीत सिंह उर्फ जीता सिंह की खातेदारी कृषि भूमि , जिसमें अपीलाधीन कृषि भूमि भी सम्मिलित है का उसकी वसीयत के आधार पर उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से स्वीकृत हुआ है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि जो नामान्तकरण पिता से उसके पुत्र के पक्ष में उसकी वसीयत के आधार पर स्वीकृत हुआ है उसे चुनौती देने का अधिकार किसी तीसरे पक्ष को है अथवा नहीं एवं स्वीकृत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल संख्या 893 को चुनौती महज जगजीत सिंह के अन्य विधिक वारिसान ही यदि अपने आप को वसीयत से व्यथित मानते , तो चुनौती दे सकते है। इन्तकाल संख्या 367 के अस्तित्व में रहते एवं बैयनामा दिनांक 07.12.2009 के अस्तित्व में रहते तथा माननीय संम्भागीय आयुक्त बीकानेर के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के अस्तित्व में रहते अपीलान्टस अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 893 को चुनौती देने के अधिकारी नहीं है एवं नामान्तकरण संख्या 893 दिनांक 06.01.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर सही एवं विधिसम्मत् स्वीकृत किया गया होने के कारण अपील अपीलांटस सव्यय निरस्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर